कार्यालय मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड

(उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन)
डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248001
ई.मेल:- mdnhmuk@gmail.com फोन / फैक्स 0135-2608646

पत्रांक–UKHFWS/NHM/NCD/2016/NTCP Letters-III/ 1975 दिनांकः 8/11/2020

सेवा में,

जिला अधिकारी,
अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति,
जनपद–हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

विषय– हरिद्वार कुम्भ मेला– 2021 को तम्बाकू मुक्त आयोजित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 30 लाख व्यक्ति तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं। तम्बाकू के सेवन से कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त होने की सम्भावना प्रबल हो जाती है। प्रत्येक वर्ष लगभग 10 लाख भारतीयों की मृत्यु तम्बाकू के प्रयोग से होने वाले सम्बन्धित रोगों के कारण होती है। उत्तराखण्ड राज्य में 26.5% व्यक्ति तम्बाकू का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। बीड़ी (15.7%), खैनी (8.0%), गुटका (2.2%), सिगरेट (4.9%) के माध्यम से तम्बाकू का उपयोग किया जा रहा है। Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2016-17 की रिपोर्ट के अनुसार 33.4% सार्वजनिक स्थलों, 24.5% कार्यस्थलों तथा 62.2% प्रतिशत घरों पर सेकेंड हैंड स्मोक के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। **हरिद्वार कुम्भ मेला– 2021** को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए **सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली, 2008** का प्रभावी क्रियान्वयन अतिआवश्यक है। जिससे कुम्भ मेला परिसर को धूम्रपान मुक्त बनाया जा सके। कुम्भ मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों को धूम्रपान मुक्त वातावरण प्रदान किया जा सके।

सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत कुम्भ मेला–2021 को तम्बाकू मुक्त आयोजित किया जाना है। जिस हेतु निम्न गतिविधियाँ आयोजित करना आवश्यक हैः–

1. कुम्भ मेला परिसर में तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों से सम्बन्धित डिस्पले बोर्ड का प्रदार्शन करना।
2. कुम्भ मेला परिसर में धूम्रपान निषेध से सम्बन्धित बोर्ड का प्रदर्शन करना।
3. समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षित करना।
4. विशेषरूप से कुम्भ मेला परिसर में नियुक्त पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के प्रति प्रशिक्षित करना।
5. समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को अर्थदण्ड रसीद उपलब्ध कराना।
6. तीर्थयात्रियों को जागरूक करने के लिए लाउडस्पीकर, पोस्टर, होर्डिंग आदि के द्वारा जागरूक करना।

अतः हरिद्वार कुम्भ मेला–2021 परिसर को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(सोनिका)भा0प्र0से0
मिशन निदेशक (एन0एच0एम0)

पत्रांक– UKHFWS/NHM/NCD/2016/NTCP Letters-III/ 1976 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, जनपद–हरिद्वार।
2. मेला अधिकारी, जनपद–हरिद्वार।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि जिला तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद–हरिद्वार।

(सोनिका)भा0प्र0से0
मिशन निदेशक (एन0एच0एम0)

Scanned with CamScanner